



**राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR**

पत्र संख्या- पं.नि. 30-06/2025 - 2401

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा, भा.प्र.से.

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

गोपालगंज।

पटना, दिनांक - 2.6.2025

विषय : निर्वाचन वाद संख्या 1589/2021 चन्द्रकान्त सिंह बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य में व्यवहार न्यायालय, गोपालगंज द्वारा दिनांक 19.12.2024 को पारित आदेश के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 1314 दिनांक 27.05.2025 एवं पत्रांक 2107 दिनांक 16.05.2025 तथा CWJC No. 1101/2025 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.05.2025 को पारित आदेश

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा आयोग के पत्रांक 2107 दिनांक 16.05.2025 द्वारा प्रखंड कुचायकोट के ग्राम पंचायत बखरी के मुखिया पद से संबंधित मतदान केन्द्र संख्या 365 पर दिनांक 05.06.2025 को मतदान कराये जाने हेतु दिये गये निदेश के अनुपालन क्रम में निर्वाचन लड़ने वाले 14 अभ्यर्थियों में से दो अभ्यर्थी की मृत्यु, एक अभ्यर्थी द्वारा दिल्ली में नौकरी करने तथा एक अभ्यर्थी विदेश चले जाने के कारण निर्वाचन संबंधी सूचना का तामिला नहीं होने के फलस्वरूप मार्ग दर्शन की माँग की गई है।

उक्त सन्दर्भ में आयोग का निदेश है कि -

1. आयोग के प्रासंगिक पत्रांक 2107 दिनांक 16.05.2025 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में निर्धारित तिथि को मतदान एवं मतगणना सम्पन्न कराया जाय।

2. मतदान हेतु ई.वी.एम. कमीशनिंग में प्रपत्र -9 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी जिनकी मृत्यु हो गयी है, के क्रम पर अंकित अभ्यर्थी के नाम अंकित करते हुये उसपर क्रॉस अंकित कर दी जाय तथा उसके सम्मुख ई.वी.एम. के बटन को मास्क कर दी जाय।

3. CWJC No. 1101/2025 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.05.2025 को पारित आदेश के आलोक में मतगणना उपरान्त निर्वाचित अभ्यर्थी को प्रमाण-पत्र हस्तगत कराने के पूर्व इस आशय से लिखित रूप से अवगत करा दी जाय कि - यह निर्वाचन CWJC No. 1101/2025 में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

2.6.25

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय एवं तत्संबंधी निदेश से सभी संबंधित को अवगत करा दी जाय।

अनुलग्नक : CWJC No. 1101/2025 में माननीय उच्च न्यायालय
द्वारा दिनांक 29.05.2025 को पारित आदेश की प्रति।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि. 30-06/2025 - 2401

पटना, दिनांक - 2.6.2025

प्रतिलिपि : आयुक्त, सारण प्रमण्डल, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि. 30-06/2025 - 2401

पटना, दिनांक - 2.6.2025

प्रतिलिपि : सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.1101 of 2025

Shakti Narayan Singh

... .. Petitioner

Versus

The State Election Commission (Panchayat)

... .. Respondents

Appearance :

For the Petitioner	:	Mr. S.B.K. Manglam, Advocate Mr. Vikash Kumar Singh, Advocate
For the Election Commission :		Mr. Ravi Ranjan, Advocate Mr. Girish Pandey, Advocate
For the State	:	Mr. Vinay Kirti Singh, G.A.-2 Mr. Akhileshwar Singh A.C. to G. A. (02)
For the Resident No.7	:	Mr. Punit Srivastava, Sr. Advocate Mr. Vyas Kumar Mishra, Advocate

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE JITENDRA KUMAR
ORAL ORDER

7 29-05-2025 With consent of both the parties, the election is directed to be held on 5th June, 2025 and the declaration of its result would be subject to outcome of the present Writ Petition.

2. List this case after vacation before the Roster Bench.

(Jitendra Kumar, J.)

Chandan/-

U			
---	--	--	--



